न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड़
पीठासीन अधिकारीः अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0नं0 25/अपील/23 तारीख दायरा :03.10.2023

उनवान अपील

01. किशन आत्मज मोतीलाल

02. मदनलाल आत्मज मोतीलाल

03. कैलाशचन्द आत्मज मोतीलाल अकवाम मीना निवासीयान गुराडियाझाला तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ राजस्थान अपीलार्थीगण

बनाम

01. भवाना आत्मज रामचन्द्र जाति मीना निवासी गुराडियाझाला तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़ राजस्थान

02. रतनबाई पत्नी मांगीलाल जाति मीना निवासी गुराडियाझाला तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़ राजस्थान .रेस्पोंडेण्ट्स

अपील बनाराजगी आदेश नामा0 संख्या 744 दिनांक 17.07.2023 ग्राम गुराडियाझाला तहसीलदार तहसील पचपहाड़।

उपस्थित :श्री पूरीलाल राठौर, अभिभाषक अपीलान्ट

:श्री दिलराज मीना अभिभाषक रेस्पो0

— :निर्णयः — दिनांकः 27.08.2024

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी के न्यायालय में रेस्पो0 संख्या 01 द्वारा अपीलार्थीगण व नन्दलाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीना निवासी गुराडियाझाला तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के तहत प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार पीपल्या में दिनांक 17.06.2016 को निर्णय पारित किए हुए डिक्री किया जिसकी प्रथम अपील अपीलीय न्यायालय ने अपील संख्या 08/2020 में अपास्त कर दी जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलार्थीगण ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायालय में अपील की जो अभी लम्बित है। नन्दलाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीना निवासी गुराडियाझाला की मृत्यु हो गई है जिसके लम्बन के दौरान उक्त भूमि को रेस्पों0 01 ने

रेस्पो0 02 को बैचान कर दी है जिसका नामा0 संख्या 744 दिनांक 17.07.2023 दर्ज किया है जिससे असन्तुष्ट होकर अपीलार्थीगण जैरअपील पेश की है। साथ ही अपील के संदर्भ में आधार बताते हुए उल्लेख किया है कि वाद के लम्बित होते हुए उसमे पक्षकारों मध्य लम्बित विवादग्रस्त प्रश्नों के निस्तारण के बगैर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी द्वारा निर्णय व डिक्री पारित कर देने से अपीलार्थीगण आराजी में निहित अपने विधिक अधिकारों से वंचित हो रहे है जिसके संदर्भ में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित है, दौराने वाद लम्बित रेस्पों0 संख्या 01 ने रेस्पों संख्या 02 को विवादग्रस्त आराजी का बैचान कर दिया तथा नामा0 दिनांक 17.07.2023 जो दर्ज किया गया है वह सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 52 के विरूद्ध है। रेस्पो0 संख्या 01 द्वारा रेस्पो0 संख्या 02 को बैचान भूमि के संबंध में यह वर्णित है कि विक्रय की गई आराजी के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है जबकि विक्रय की तिथी से पूर्व से ही तथा विक्रय की तिथी के समय तथा उसके उपरान्त नामा0 दर्ज करने के समय भी न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रकरण विचाराधीन रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया। रेस्पो0 की ओर से विद्वान वकील श्री दिलराज मीना का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील रेस्पों की ओर से जवाब अपील पेश किया गया जिसकी प्रति वकील अपीलांट को उपलब्ध करवाई जाकर पत्रावली वास्ते बहस उभयपक्षकारान रखी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों के उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विवादास्पद नामा0 खारिज किये जाने का निवेदन किया है। इस पर विद्वान वकील रेस्पोंडेण्ट ने अपनी बहस में बताया कि प्रश्नगत आराजी का रेस्पो0 01 रेकार्डेड खातेदार है जिसका बैचान रेस्पों0 संख्या 02 रतनबाई को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 25.05.2023 को किया गया है जिसके संदर्भ में तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा खोला गया नामा0 744 दिनांक 17.07.2023 विधि द्वारा सुस्थापित प्रकिया के अनुसार सही है अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

2
27/08
जिला कलक्टर
झालावाड़

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया। अवलोकन से यह

स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामा0 744 दिनांक 17.07.2023 रजिस्टर्ड बयनामें दिनांक 25.05.2023 के आधार पर तस्दीक किया गया है एवं नामा0 तस्दीक किये जाने की दिनांक पर उक्त वादग्रस्त आराजी पर किसी भी न्यायालय से किसी भी तरह का स्थगन पारित नहीं किया गया था जिसकी पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील नामा0 तस्दीक नहीं किया जाना चाहिए था। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील पचपहाड़ द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में खोले गए नामा0 में किसी भी तरह का हस्तक्षेप अथवा रद्दोबदल करना यह न्यायालय उचित नहीं समझता है । अतः अपील अपीलांट मय खर्चा खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील पचपहाड़ को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसले में शुमार की जाकर बाद तामिल तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/08

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़

न्यायालय जिला कलक्टर जिला मजिस्ट्रेट झालावाड़